दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

नवजात शिशु के मुंह को दबाकर हत्या आरोपी जेल में

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना प्रभारी लैलूंगा दिनांक 12.01.2020 को सूचना मिला कि ग्राम रामपुर में एक महिला द्वारा उसके 06 दिन के दूधमुहे बालक का मुंह दबाकर हत्या कर तलाब के पानी में फेंक दी है। सूचना पर थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ रामपुर पहुंची। प्रार्थी खेमराज भगत पिता शिवलाल भगत उम्र 20 साल ग्राम रामपुर थाना लैलूंगा ने बताया कि पिछले साल अपने चाचा भुनेश्वर भगत उर्दना के यहां ट्रेक्टर चलाने का काम करने गया था। उसी दौरान उर्दना बस्ती में मोनिका भगत के साथ जान पहचान हुआ जिसे पत्नि बनाकर उन्ही के घर में रहता था। दिनांक 06/01/2020 को पत्नि का घर में ही डिलीवरी हुआ। पत्नि नवजात शिशु (लडका) को जन्म दी थी शिशु के जन्म पश्चात बच्चा को दूध नहीं पिलाती थी। भाभी का दूध को पिलवाते थे। दिनांक 10.01.2020 को गांव में छेरछेरा त्यौहार मना रहे थे। मोनिका रात्रि करीबन 7 बजे बच्चा को लेकर निकली थी और घर आकर बताने लगी कि एक अज्ञात व्यक्ति बच्चा को छिनकर ले गया है। तब गांव वालों के साथ मिलकर आसपास पता करने लगे कोई पता नहीं चला। सुबह जब पत्नि से फिर पूछताछ किया तो बताई कि घर जाना चाहती थी जाने नहीं देते हो कहकर गुस्से में आकर नवजात शिशु (लडका) के मुंह को दबाकर हत्या करने के बाद घर के नजदीक तालाब के पानी में फेंक दी थी। प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपिया मोनिका कुजूर पति खेमराज भगत उम्र 20 साल के विरूद्ध अप.क्र. 07/2020 धारा 302 भादंवि दर्ज कर आरोपिया को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया , जहां उसे जेल वारंट पर जेल दाखिल किया गया है ।

चाकूनूमा गुप्ती से लोगों को डरा व धमका रहा था युवक के खिलाफ कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोतरारोड स्टाफ द्वारा दिनांक 13/01/2020 को मोबाईल से मिली सूचना पर किरोडीमलनगर में रतन लाल उर्फ शेरू चौहान पिता जागेश्वर चौहान उम्र 28 वर्ष सा0 किरोडीमल नगर पुरानी बस्ती थाना कोतरारोड को धारदार चाकूनूमा गुप्ती से लोगों को डराते-धमकाते हुए पकड़े। आरोपी के विरूद्ध थाना कोतरारोड़ में धारा 25 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई है।

कच्ची महुआ शराब अवैधबिक्री पर आबकारी की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना चक्रधरनगर स्टाफ द्वारा दिनांक 12.01.2020 को मुखबिर सूचना पर दोपहर करीब 13.30 बजे प्रगति कोचिंग सेंटर के सामने, बोईरदादर चौक के पास एक स्लेटी कलर बिना नम्बर के एक्टीवा वाहन में आकाश सारथी पिता कुंजे सारथी उम्र 20 वर्ष निवासी जोगीडीपा थाना सिटी कोतवाली रायगढ को बैग के अन्दर 2 - 2 लीटर के प्लास्टिक पांच बोतलों में भरकर कच्ची महुआ शराब अवैधबिक्री के लिये लेकर आते हुये पकड़े। आरोपी से कुल 10 लीटर हाथ भट्ठी का बना कच्ची महुआ शराब किमती 1600 रूपये एवं शराब परिवहन में प्रयुक्त एक्टीवा स्कुटी जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना चक्रधरनगर में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि रायगढ़ की जनता की तहेदिल से करें सेवा-उच्च शिक्षा-उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल

न्याय साक्षी/रायगढ़। उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल आज नगर पालिक निगम रायगढ़ के नवनिर्वाचित महापौर एवं सभापति के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं.सुंदरलाल शर्मा के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर किया। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि निर्वाचित महापौर, सभापति एवं अन्य पार्षदों को जीत के साथ ही जिम्मेदारी भी मिली है। उन्होंने कहा कि जनता ने आप पर विश्वास जताया है, इसलिए आप सभी का दायित्व है कि रायगढ़ की जनता की तहेदिल से सेवा करें। जनसामान्य के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें।

कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस की तैयारी के लिए अधिकारियों की ली बैठक

» व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियां

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले में आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाए जाने की तैयारी के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह उपस्थित थे।

कलेक्टर ने अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल मिनी स्टेडियम में मंच, बेरीकेटिंग, गणमान्य नागरिकों, जनसामान्य, पत्रकारों की बैठक व्यवस्था, निमंत्रण पत्र, विद्युत, पेयजल, मिष्ठान, साफ-सफाई, सुरक्षा, बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही अन्य तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि, मछली पालन, पशुपालन, परिवहन, उद्योग, जिला पंचायत, रेशम, महिला एवं बाल विकास, नगर निगम, गृह निर्माण मंडल, एसईसीएल, एनटीपीसी आदि संबंधित विभाग के प्रमुखों को अपने विभाग के उत्कृष्ट, अच्छे कार्यों एवं शासन की नई योजनाओं की थीम पर आधारित झांकी तैयार करने के भी निर्देश दिए है। कलेक्टर ने ध्वजारोहण करते समय राष्ट्रीय झण्डा संहिता के नियमों का पालन करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने परिवहन अधिकारी को स्कूल परेड में शामिल होने वाले बच्चों के लिए परिवहन की व्यवस्था करने के लिए कहा। उन्होंने खाद्य अधिकारी को बच्चों के लिए मिष्ठान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बच्चों का चिन्हांकन करके नियमित अभ्यास करवाने के निर्देश दिए है। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी को मिनी स्टेडियम कार्यक्रम स्थल पर दो मेडिकल टीम की व्यवस्था करने के लिए कहा। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी, समस्त एसडीएम एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

आर्म्स, जुआ व अवैध शराब पर कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। पूंजीपथरा पुलिस द्वारा दिनांक 13.01.2020 को होटल ढाबा चेक दौरान फुटहा पुल उज्जलपुर में मुखबिर से सूचना पर आरोपीया रजनी कसेर पति स्व0 बीवच्छ कुमार कसेर उम्र 45 वर्ष सा0 उज्जलपुर नीचे पारा थाना पूंजीपथरा के घर पर शराब रेड कार्यवाही किया गया।

आरोपीया के घर परछी से 12 लिटर कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया है। आरोपिया के विरूद्ध धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक अभिनव कांत सिंह के नेतृत्व में दिनांक घटना 12/01/2020 के दोपहर करीब 15/30 बजे ग्राम हमीरपुर खार में 52 पत्ती तास से जुआ खेल रहे जुआडियान को तमनार पुलिस द्वारा रेड कर पकड़ा गया। जुआडियान 1. छत्तरलाल गुप्ता पिता मिनीकेतन गुप्ता 32 वर्ष सा. आमाघाट तमनार 2. सुजय गुप्ता पिता निलांबर गुप्ता 37 वर्ष सा. तमनार 3. प्रेम सागर कुम्भकर पिता परशुराम कुम्भकर 34 वर्ष सा. तमनार 4. सुरेन्द्र मिश्रा पिता परमेशवर मिश्रा उम्र 70 वर्ष सा. हमीरपुर तमनार 5. अनील गुप्ता पिता शौकी गुप्ता 35 वर्ष सा. चंद्रपुर थाना हिमगीर उडीसा 6. मनोज शर्मा पिता प्रफुल्ल शर्मा 43 वर्ष सा. तमनार मिलूपारा से नगदी रकम 10,650 रू, 52 पत्ती तास एवं चटाई जप्त किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध थाना तमनार में 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा जमा करने के निर्देश

» 554 अभ्यर्थियों में से अब तक 205 अभ्यर्थियों ने किया लेखा जमा

» अंतिम लेखा जमा करने के संबंध में व्यय प्रेक्षक की अध्यक्षता में बैठक आज

न्याय साक्षी/रायगढ़। नगरीय निकाय निर्वाचन 2019 अंतर्गत निर्वाचन में शामिल होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा 22 जनवरी 2020 तक जमा किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त समस्त अभ्यर्थियों को दूरभाष के माध्यम से भी बार-बार अवगत कराया जा रहा है। जिले में कुल 554 अभ्यर्थियों में से अब तक 205 अभ्यर्थियों द्वारा ही लेखा जमा किया गया है। जिनमें रायगढ़ से 88, किरोड़ीमल नगर से 3, लैलूंगा से 3, घरघोड़ा से 10, धरमजयगढ़ से 8, खरसिया से 38 सरिया से 15, पुसौर से 13 एवं बरमकेला से 27 अभ्यर्थी शामिल। शेष जिन अभ्यर्थियों के द्वारा लेखा आज तक जमा नहीं किया गया है।

सड़क सुरक्षा दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात की सराहनीय कार्य

» अमले द्वारा 450 ऑटो वाहन में बैनर लगाकर यातायात के प्रति जागरूक

न्याय साक्षी/रायगढ़। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तृतीय दिवस यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सड़क पर उतर कर सभी प्रकार के वाहनों के हेडलाइट पर काला पट्टी मार्क किया गया।

इस कड़ी में लगभग 300 गाड़ियों के हैंडलाइट काला किया गया। रात में अपर डिपर से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए यातायात अमले द्वारा किया गया हर सराहनीय कार्य है। 05 शैक्षणिक संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सुरक्षित यातायात नियम एवं दुर्घटना घटित होने के कारण व उनके बचाव के उपायों से अवगत कराया गया। शहर में संचालित लगभग 450 ऑटो वाहन में बैनर लगाकर आम जनों को यातायात के प्रति जागरूक करने सार्थक कार्यवाही की गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह के चौथे दिन यातायात पुलिस द्वारा जिला मुख्यालय में अध्ययनरत स्कूली बच्चों का यातायात संबंधी स्लोगन लेखन एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय शासकीय नटवर स्कूल रायगढ़ में प्रातः 11:00 बजे से 1:00 बजे तक संचालित की जाएगी। उक्त प्रतियोगिता में लगभग 350 स्कूली बच्चों के भाग लेने की संभावना है।

शहरी पेंशन संगवारी योजना का शुभारंभ

» महिला स्व-सहायता समूह को आवर्ती निधि का किया वितरण

न्याय साक्षी/रायगढ़। उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने आज न्यू ऑडिटोरियम परिसर में नई सोच महिला महासंघ डे-राष्ट्रीय शहरी अर्बन आजिविका मिशन के तहत आरंभ होने जा रहे तीन स्टॉल, दीदी बर्तन बैंक, थैला व कपड़ा भंडार व गढ़कलेवा का फीता काटकर शुभारम्भ किया। इस अवसर पर विधायक मोहन मरकाम उपस्थित रहे। श्री नृत्य मंडली के कलाकारों ने करमा की प्रस्तुति देते हुए अतिथियों का आत्मीय अभिनंदन किया। गौरतलब है कि महिलाओं में स्वावलंबन की दिशा में शासन की ओर से कारगर पहल की गई है। जिसके तहत स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा काफी कम दरों पर बर्तन किराये पर उपलब्ध कराये जायेंगे। कपड़ा व थैला भंडार में महिलाओं के द्वारा हस्तनिर्मित कपड़े व थैले नागरिकों को उपलब्ध होंगे लोगों को वाजिब कीमत पर उच्च गुणवत्ता के कपड़े थैले व अन्य उपयोग की वस्तुएं मिलेगी।

रामकृष्ण मिशन आश्रम अबूझमाड़ियों और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कर रहा निरंतर प्रयासः स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. टेकाम

» अच्छे समाज के लिए युवा अपनी शक्ति का सही उपयोग करें

रायपुर। अच्छे समाज के लिए युवा अपनी शक्ति का सही उपयोग करें। स्वामी विवेकानंद का छत्तीसगढ़ से भी नाता रहा है। वे रायपुर के बूढ़ापारा में रूके थे। उनके रूकने वाले स्थल को स्मारक के रूप में बनाया जायेगा। रामकृष्ण मिशन आश्रम अबूझमाड़ियों और उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पिछले 34 साल से निरंतर सफल प्रयास कर रहा है। स्कूल शिक्षा एवं अनुसूचित जाति, जनजाति मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस आशय के विचार आज स्वामी विवेकानंद जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अवसर पर नारायणपुर रामकृष्ण मिशन आश्रम में मुख्य अतिथि की आसंदी से व्यक्त किए। डॉ. टेकाम ने कहा कि यहां का युवा स्वयं पर विश्वास करके आगे बढ़ रहा है और एक अच्छे समाज निर्माण में अपनी सहभागिता निभाने में अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग कर रहा है। सरकार उनकी बेहतरी के लिए वचनबद्ध है। देश में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिन को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से उनकी बातों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का आव्हान किया। डॉ. टेकाम ने कहा कि यहां आकर देखने-सुनने को मिला कि आश्रम का काम अबूझमाड़िया बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना और जिले का नाम रौशन कर रहे हैं। बच्चे यहां से अच्छी तालीम लेकर डॉक्टर और इंजीनियर के साथ ही जिला और पुलिस प्रशासन में भी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर के इस ईलाके में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहां के बच्चे और युवाओं में प्रतिभा छुपी हुई है, बस उसे निखारने की जरूरत है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि अबूझमाड़ के सर्वे और वहां के लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने राज्य सरकार गंभीर है। सरकार की सोच है कि यहां के आदिवासी, वनवासियों को जमीन का मालिकाना हक मिले। उन्होंने कहा कि राजधानी रायपुर में तीन दिवसीय राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन हो रहा है। जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवा अपनी कला और हुनर का प्रदर्शन और अपनी सोच को जनता के सामने पेश कर रहे हैं।

स्वामी विवेकानंद की जयंती पर रामकृष्ण मिशन आश्रम से सैकड़ों बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। नगरीय क्षेत्र में विवेकानंद के प्रेरणादायी संदेश दिये गये। रामकृष्ण मिशन आश्रम परिसर में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें उन्होंने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर लोगों का दिल जीता। कार्यक्रम को क्षेत्रीय विधायक चंदन कश्यप, आश्रम के सचिव स्वामी व्याप्तानंद ने भी संबोधित किया। आभार प्रदर्शन स्वामी कृष्णामृतानंद ने किया।

दहेज की मांग से प्रताड़ित होकर युवती ने फांसी लगाई

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना खरसिया के मर्ग क्र0 127/19 धारा 174 जा0फौ0 में मृतिका कीर्ति महंत पति गोवर्धन दास महंत उम्र 20 वर्ष सा0 ग्राम छोटे मुड़पार थाना खरसिया की जांच पंचनामा कार्यवाही बाद पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त किया गया। नव विवाहिता है। जांच दौरान मृतिका के पिता द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत किया गया एवं अपने कथन में बताया कि लड़की कीर्ति दास महंत (मृतिका) बताई थी कि उसका पति व सास दहेज में सामान टूटी फूटी पुरानी दिये हैं व मोटर सायकल, फ्रिज नहीं दिये हैं बोलकर ताना देते रहते थे जिससे काफी दुखी थी। तब नया टीवी भी दिया गया था इसके उपरांत भी आलमारी एवं मिक्सर मशीन (मिक्सी) को भी खराब होना उसका पति और सास बोलते थे। उसके ससुराल वाले दहेज के सामान को नया नहीं दे सकते तो उसका पैसा देने के लिये बोलने लगे जिससे लड़की काफी दुखी एवं प्रताड़ित हुई तथा जिसकी मौत फाँसी लगाने से हुई है। मर्ग एवं शिकायत जांच पर मृतिका के पति गोवर्धन दास महंत एवं सास गुरूवारी बाई महंत के विरूद्ध अपराध क्रमांक 27/2020 धारा 304 बी, 34 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

नगर पालिक निगमों के बढ़े वित्तीय अधिकार- राज्य सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित की अधिसूचना

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के नगर निगमों के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोत्तरी की गई है। इन संस्थाओं में कार्य संचालन के लिए नगर पलिक निगम आयुक्त, मेयर इन काउंसिल और निगम को नए सिरे से वित्तीय अधिकार देने के संबंध में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार नगर पलिक निगम को तीन श्रेणियों में दस लाख से अधिक की जनसंख्या, तीन लाख से अधिक किन्तु दस लाख से कम और तीन लाख तक की श्रेणी में बांटा गया है नगर पालिक आयुक्त, मेयर इन काउंसिल निगम के नई वित्तीय अधिकार की सीमा निर्धारित कर दी गई है। दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले निगम में नगर पालिका आयुक्त को 75 लाख रूपए तक, निगम को 3 करोड़ रूपए से 5 करोड़ रूपए तक वित्तीय अधिकार दिया गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480